"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2008—कार्तिक 9, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कुंज बिहारी अग्रवाल आमत्ज स्व. श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी मकान नं. 432/6, सड़क नं. 6, आशीष नगर- II (पश्चिम) रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र अशंक अग्रवाल जिसकी जन्मतिथि 18-6-1996 है का नाम परिवर्तित कर हर्षवर्धन अग्रवाल रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को हर्षवर्धन अग्रवाल आत्मज श्री कुंज बिहारी अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अशंक अग्रवाल	हर्षवर्धन अग्रवाल
आत्मज श्री कुंजबिहारी अग्रवाल	आत्मज श्री कुंजबिहारी अग्रवाल
निवासी-मकान नं. 432/6, सड़क नं. 6	निवासी-मकान नं. 432/6, सड़क नं. 6
आशीष नगर -II (पश्चिम)	आशीष नगर -II (पश्चिम)
रिसाली भिलाई	रिसाली भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. मीना ठाकरे आमत्जा श्री दिवाकर वामन राव ठाकरे, निवासी-सड़क नं. 17, प्लाट नं. 159/सी. स्मृति नगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 9-5-1996 को श्री सुनील इंगले के साथ हो जाने के कारण मैं अपने पूर्व का नाम को परिवर्तित कर श्रीमती प्रगति इंगले रख लिया हू तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती प्रगति इंगले पति श्री सुनील इंगले के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. मीना ठाकरे आत्मजा श्री दिवाकर वामन राव ठाकरे निवासी- सड़क नं. 17, प्लाट नं. 159/सी, स्मृति नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती प्रगति इंगले पति श्री सुनील इंगले निवासी- सड़क नं. 17, प्लाट नं. 159/सी, स्मृति नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्टार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्रमांक 506/अ.वि. अ./वाचक/ट्रस्ट/08.—चूंकि श्री चंचलापति द्वारा ए. सी. भमितवेदता स्वामी प्रभुपारु रविनगर रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 7-11-2008 को होगी.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	हरे कृष्णा मूवमेन्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, रविनगर, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	एक्सिस बैंक लिमिटेड, टैगोर नगर, रायपुर राशि 5000.00 रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

टी. पी. सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/1939.—श्रिया पुस्तक एवं स्टेशनरी सहकारी भंडार मर्यादित नेहरू नगर बिलासपुर विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3939 दिनांक 9-7-99 का श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई. उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सभी सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है. वर्तमान में समिति के खाते में रु. 17194.00 जमा है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत् पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1941.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1750/बिलासपुर दिनांक 24-6-95 के तहत शासकीय शालेय उप भंडार सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 2909 दिनांक 13-12-67, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1942.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/644/बिलासपुर दिनांक 29-5-2006 के तहत फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित, चपोरा, पंजीयन क्रमांक 115 दिनांक 8-8-2001, विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कॉरपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1943.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/324/बिलासपुर दिनांक 15-3-2005 के तहत कृष्णा रेत खनिज सहकारी समिति मर्यादित, कोनी, पंजीयन क्रमांक 3777 दिनांक 23-9-96, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/1987.—आदर्श मछुवा सहकारी समिति मर्यादित गनियारी विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3181 दिनांक 10-4-87 का श्री आर. के. धुर्वे उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. धुर्वे उप अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है प्रतिवेदन के अनुसार समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाय संस्था के पास मत्स्य पालन हेतु जलाशय उपलब्ध है. तथा नियमों के तहत् कार्यशील है. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है. वर्तमान में समिति में 51 सदस्य हैं तथा बैंक खाता में, 1115.00 जमा है. परिसमापक द्वा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99 पंद्रह बी दिनांक 26-7-99 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत् आदर्श मछुवा सहकारी समिति मर्यादित गनियारी विकासखण्ड तखतपुर को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं.

1.	श्री संतोष कुमार	अध्यक्ष
2.	श्री हरिराम	उपाध्यक्ष
3.	श्री छोटे लाल	सदस्य
4.	श्री अशोक कुमार	सदस्य
5.	श्री तुंगनराम	सदस्य
6.	श्रीमति शिव कुमारी	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2008.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/910/बिलासपुर दिनांक 23-7-2007 के तहत मॉ बम्लेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, दयालबंद नयापारा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3560 दिनांक 20-12-94, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/2009.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/881/बिलासपुर दिनांक 11-7-2006 के तहत भारत ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, धौराभाठा, पंजीयन क्रमांक 3450 दिनांक 10-2-91, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लायी जाकर धारा 70(1) के तहत श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.